



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 27 मार्च, 2021

चैत्र 6, 1943 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

पी०सी०एफ० भवन, 32—स्टेशन रोड, लखनऊ—226001

संख्या 84/रानि०आ०—३/न०नि००४—२०टी०सी०-२०२१

लखनऊ, 27 मार्च, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के पत्र संख्या 518/9—१—२१—१०४निर्वा०/१७ दिनांक 04—०२—२०२१ द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद—२४३यक सपष्टित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 43ग के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के रिक्त अध्यक्ष के पदों (यदि मात्र न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों) पर उप निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय—सारणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ :—

| नाम निर्देशन पत्रों के क्रय एवं जमा करने का दिनांक व समय | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय | अभ्यर्थन वापसी का दिनांक व समय | प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय | मतदान का दिनांक व समय | मतगणना का दिनांक व समय |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 मार्च, 2021 से 01 अप्रैल, 2021 एवं 03 अप्रैल, 2021 से 06 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 07 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 09 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक) | 10 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 04 मई, 2021 (प्रातः 7.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक) | 06 मई, 2021 (प्रातः 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

2—उपर्युक्त संदर्भित उप निर्वाचन के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) दिनांक 30 मार्च, 2021 को सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए तथा एक प्रतिलिपि आयोग को उसी दिन भेजेंगे। तत्काल में सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी रिक्त अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन की सार्वजनिक नोटिस

दिनांक 31 मार्च, 2021 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजेंगे।

3—जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी उक्त कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराएंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सूचना पट्ट पर भी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवा कर प्रदर्शित कराएंगे।

4—नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापसी, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जाएगी।

5—यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा।

6—उपर्युक्त समय—सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

7—वैशिक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

आज्ञा से,
मनोज कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना
संख्या 84 / राजनीति-3 / निर्वाचनीय-04-2021/सी।/2021
दिनांक 27.03.2021 का संलग्नक

| क्रमांक | जनपद का नाम | निकाय का नाम | पद |
|---------|-------------|--------------------------|---------|
| 01 | हरदोई | नगर पालिका परिषद, पिहानी | अध्यक्ष |
| 02 | झाँसी | नगर पंचायत, रानीपुर | अध्यक्ष |
| 03 | बाराबंकी | नगर पंचायत, बंकी | अध्यक्ष |
| 04 | आगरा | नगर पंचायत, किरावली | अध्यक्ष |

वेद प्रकाश वर्मा,
अपर निर्वाचन आयुक्त,